न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 24ए/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.देवाराम पुत्र श्री फगलुराम जी जाति विश्नोई निवासी भाकारासनी धतरवालो की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी सख्या एक की और से राजकीय पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 13/4/2021

वाद के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की एक खरीद शुद्वा सहखातेदारी की खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 78 बीधा 18 बिस्वा भूमि ग्राम मोगडा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। जिसे वादी के पिता श्री फगलूराम द्वारा स्वय व वादी के पक्ष मे सयुंक्त रूप से 39.05 बीधा दिनॉक 29.06.1964 को खरीद किया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया हुआ है जिसके नये खसरा नम्बर 152/1 रकबा 39.09 बीधा रेकर्ड मे दर्ज किये गये। जिसमे वादी का 19–14–10 बीधा हिस्सा बनता है वादी के पिता के द्वारा जब बेचाननामा निष्पादित करवाया गया तब वादी देवाराम के पिता का नाम सुण्डाराम दर्ज कर दिया गया। जो कि वादी के ताऊजी थे तथा सुण्डाराम जी का देहान्त होने पर उनकी पत्नी श्रीमती लाछीदेवी द्वारा वादी के पिता के साथ विश्नोई समाज के रिति रिवाजो के अनुसार पल्लू ओढ लिया गया था जबकि वादी स्व0 फगलूराम की सन्तान है। बेचाननामा मे वादी के पिता का नाम सुण्डाराम दर्ज हो जाने के कारण राजस्व रेकर्ड मे भी वादी के पिता का नाम सुण्डाराम दर्ज है जबकि अन्य सम्पतियों व निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि मे वादी के पिता का नाम फगलूराम ही दर्ज है। वादी के पिता का नाम फगलूराम की जगह सुण्डाराम दर्ज कर दिया गया जो कि वादी के ताऊजी थे जबकि वादी के पिता का नाम फगलूराम है तथा बेचाननामा जो देवा पुत्र सुण्डाराम के नाम दर्ज है वह देवा वादी है जिसके लिये वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि बेचाननामा निष्पादित करने वालो की मुत्यु हो चुकी है तथा बेचाननामा भी बहुत पुराना होने के कारण व वर्तमान समय मे बैक से लोन लेने व अन्य इत्यादि कार्यवाहीयां हेतु बार बार परेशानी होने पर वादी द्वारा विभागो के चक्कर निकाले जा रहे है जिस कारण इससे परेशानी हो रही है। उसका कोई काम नही हो रहा है इसलिये वादी द्वारा अपने पिता के नाम सुण्डाराम की जगह फगलूराम करवाने हेतु यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद का कारण राजस्व रेकर्ड मे नाम बदले नही जाने के कारण दिनॉक 20.06.2017 को उत्पन्न हुआ तथा प्रतिवादी द्वारा नाम बदलने से इन्कार कर दिया तब उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

इस प्रकार से वादी ने विवादग्रस्त भूमि मे वादी को खसरा नम्बर 152/1 रकबा 39.19 बीधा मे से 1/2 हिस्से मे वादी के पिता का नाम सुण्डाराम की जगह फगलूराम किये जाने का आदेश एवं वादी को आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तथा प्रतिवादी से कोई रिलीफ नही चाही गई है इसलिये नोटिस की बाध्यता से छूट दिये जाने का निवेदन किया। वादी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया तथा प्रतिवादी तहसीलदार लूणी से वाद मे अंकित बिन्दूवार जवाव प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/2021/805 दिनॉक 12.04.2021 हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनाक 19.03.2021 के आधार पर बिन्दूवार जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमे निवेदन किया कि ग्राम मोगडाकला के खसरा नम्बर 152 मे वादी का नाम देवाराम पुत्र फगलूराम जाति विश्नोई दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 152/1मे वादी का नाम देवाराम पुत्र सुण्डाराम जाति विश्नोई दर्ज है। वादी का वोटर कार्ड सख्या RJ24/186/327290 मे नाम देवाराम पुत्र फगलूराम दर्ज है आधार कार्ड सख्या 3625–7576–9912 मे नाम देवाराम फगलूराम दर्ज है। इसी तरह परिवार राशन कार्ड मे नाम देवाराम पुत्र फगलूराम दर्ज हैं।

वादी के पिता फगलूराम के दो पत्निया गोगी एव लाच्छी है। लाच्छी पूर्व मे फगलूराम के भाई सुण्डाराम की पत्नी थी। परन्तु सुण्डाराम की असामयिक मृत्यु हो जाने पर सामाजिक रीति–रिवाजोनुसार लाच्छी ने अपने देवर फगलूराम से विवाह तत्पश्चात लाच्छी फगलूराम के एक पुत्र देवाराम होना परिवार द्वारा बताया गया तथा फगलूराम के शेष संताने पत्नी गोगी से उत्पन्न बतायी गयी।यह भी बताया कि वादी के परिवार जनो ने देवाराम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र फगलूराम करने पर सहमति जाहिर की है तथा वादी देवाराम को समाज एवं गांव मे भी पुछताछ करने पर फगलूराम का पुत्र बताया गया।

प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम मोगडाकला के नामान्तरकरण सख्या 16 बेचान के जरिये खसरा नम्बर 152/1 रकबा 39.09 बीधा भूमि खेराज काना वल्द गुणेश कौम विश्नोई से फगलू पुत्र कोजाराम 1/2 एवं देवाराम पुत्र सुण्डाराम 1/2 जाति विश्नोई ने खरीद किया था।

वादी के वाद पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस मे वाद मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये वादी के पिता का नाम सुण्डाराम के स्थान पर फगलूराम किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन करते हुये पुर्ण विश्लेषण किया एव बहस पर मनन किया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के पिता फगलूराम द्वारा स्वयं एव वादी के पक्ष मे संयुक्त रूप से 39.09 बीधा कृषि भूमि दिनॉक 29.06.1964 को खरीद की जिसका राजस्व रेकर्ड ग्राम मोगडाकला के खसरा नम्बर 152/1 रकबा 39.06 बीधा सहखातेदारी मे 1/2 दर्ज है। वकील वादी ने अपने दावे के समर्थन मे वादी का साक्ष्य शपथ पत्र अपने सह खातेदारो के शपथ पत्र, वादी का आधार कार्ड 3625–7576–9912 , निर्वाचन पहचान कार्ड सख्या RJ24/186/327290 तथा पारिवारिक राशन कार्ड जो कि ग्राम पचायत गुडा विश्नोईयान द्वारा जारी किया गया जिसमे भी वादी के पिता का नाम फगलूराम अंकित है । इसी तरह वादी द्वारा अपने समर्थन मे ग्राम मोगडाकला के खसरा नम्बर 155 रकबा 91.14 बीधा की जमाबन्दी सवत 2063–2066 एव ग्राम भाकरासनी के खसरा सख्या 222 व 223 कुल राकबा 49 बीधा सवत 2062–2065 पेश की गई जिसमे भी वादी के पिता का नाम फगलूराम दर्ज है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रतिवादी तहसीलदार लूणी के जबाव मे भी वादी देवाराम को पारिवारजनो ने देवाराम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र फगलूराम करने पर सहमति जाहिर की तथा वादी देवाराम को समाज एव गांव मे भी पूछताछ करने पर फगलूराम का पुत्र बताया गया।

प्रस्तुत दस्तावेज एव साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी विवादग्रस्त भूमि का सहखातेदार काश्तकार है तथा वादी फगलुराम का ही पुत्र है।

अतः वाद वादी का स्वीकार किये जाने योग्य है तथा इसलिये ग्राम मोगडाकला के खसरा नम्बर 152/1 रकबा 39.09 बीधा कृषि भूमि मे दर्ज देवाराम पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र फगलूराम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी को उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी